

**अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/—/19, दिनांक : 01 अक्टूबर-2019,

**-:: आदेश ::-**

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक-1629/19 दिनांक 16.09.19 द्वारा दिनांक 14.10.19 से 19.10.19 के लिए सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम एवं द्वितीय आगरा के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम आगरा व सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-द्वितीय नोएडा को सम्मिलित करते हुए खंड पीठ गठित की गयी थी।

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम आगरा का स्थानान्तरण पीठासीन अधिकारी, भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन, प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर के पद पर हो जाने के कारण आगरा में गठित उक्त खंड पीठ निरस्त की जाती है।

ह0-01.10.19

( प्रेम कला सिंह )

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/1668/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम/द्वितीय आगरा।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2, नोएडा।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 5-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।